सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F. No. NCST/DEV-2783/MH/1/2024-ESDW (RU-I) **Dated: 18.05.2026**

To,

The Commissioner of Police, Mumbai,
Maharashtra Government,
Office of the Commissioner of Police,
D.N Road, Opposite Crawford Market,
Mumbai, Maharashtra 400001
E-mail: cp.mumbai@mahapolice.gov.in
dcpzone5-mum@mahapolice.gov.in

Sub: Representation dated 01.03.2024 of Shri Chandubhai Babubhai Patel, Room No. 616, 6th Floor, Durga Devi Ekta Rehivashi Sangh S.R.A Cooperative Housing Society Limited, Rajendra Nagar, Borivali (East), Mumbai regarding the illegal use of force and false documentation to evict a Scheduled Tribe (ST) individual from his rightful land.

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of Minutes of the Sitting taken by **Shri Antar Singh Arya, Hon'ble Chairperson, NCST, New Delhi on 16.03.2026** on the above mentioned subject for necessary action.

2. It is requested that Action Taken Report/Compliance Report on the recommendations of Minutes of the Sitting may be furnished to this Commission **within 15 days** positively.

Encl: as Above.

Yours faithfully,

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

Copy for information to: -

Shri Chandubhai Babubhai Patel,
Room No. 616, 6th Floor,
Durga Devi Ekta Rehivashi Sangh,
S.R.A Cooperative Housing Society Limited,
Rajendra Nagar, Borivali (East),
Mumbai, Maharashtra

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-2783/MH/1/2024-ESDW

अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

दिनांक 01.03.2024 को श्री चंदूभाई बाबूभाई पटेल, कक्ष संख्या 616, छठी मंजिल, दुर्गा देवी एकता रहिवासी संघ एस.आर.ए. सहकारी आवास सोसायटी लिमिटेड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूर्व), मुंबई द्वारा एक प्रस्तुत अभ्यावेदन अनुसूचित जनजाति (ST) व्यक्ति को उसकी वैध भूमि से बेदखल करने हेतु बलपूर्वक एवं झूठे दस्तावेजों के उपयोग के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 16.03.2026
अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को दिनांक 01.03.2024 को श्री चंदूभाई बाबूभाई पटेल, निवासी दुर्गा देवी एकता शरणार्थी संघ एस.आर.ए. सहकारी आवास सोसायटी लिमिटेड, राजेंद्र नगर, बोरीवली (पूर्व), मुंबई से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि उनके दादा सर्वे क्रमांक 435/1 से 5, ग्राम–कन्हेरी, तालुका–बोरीवली, जिला–मुंबई उपनगर की भूमि के पट्टेदार एवं चॉल के स्वामी थे। उनके दादा के निधन के पश्चात वे एवं उनकी माता उक्त संपत्ति के विधिक उत्तराधिकारी हैं।

अभ्यावेदन के अनुसार, निराला कंस्ट्रक्शन के निदेशकों द्वारा कथित रूप से शासकीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी एवं मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूमि पर अवैध कब्ज़ा किया गया तथा आवेदक को उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। आवेदक ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी एवं उसके परिवार की सुरक्षा को खतरा है तथा संबंधित व्यक्तियों द्वारा दबाव एवं धमकी दी जा रही है।

आवेदक द्वारा आयोग से अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा उसकी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में प्रशासन द्वारा दिनांक 26.06.2024 को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा आवेदक एवं गैर-आवेदकों के बयान दर्ज किए गए तथा दोनों पक्षों से संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर जांच की गई। प्रतिवेदन के अनुसार, संपत्ति से संबंधित अभिलेखों में विभिन्न व्यक्तियों के नाम दर्ज पाए गए तथा उक्त भूमि पर स्लम पुनर्वास योजना (SRA) के अंतर्गत विकास कार्य स्वीकृत किया गया है। अधिकांश झुग्गीवासियों की सहमति प्राप्त होने के आधार पर निराला कंस्ट्रक्शन को डेवलपर नियुक्त किया गया तथा विधिसम्मत प्रक्रिया के अंतर्गत नोटिस जारी कर संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई की गई।

यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा पुनर्वास योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ को स्वीकार किया गया तथा उसे निर्धारित राशि का भुगतान भी किया गया। प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकरण अत्याचार अधिनियम के अंतर्गत विचारणीय नहीं है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण के संबंध में पूर्व में कोई भी सुनवाई आयोजित नहीं की गई है।

6. दिनांक 16.03.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16.03.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान पुलिस आयुक्त कार्यालय, मुंबई के प्रतिनिधि श्री मालोजी शिंदे, ACP और याचिकाकर्ता उपस्थित रहे। पुलिस आयुक्त कार्यालय से लिखित प्रतिवेदन आयोग को प्राप्त नही हुआ है। सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में संबंधित प्राधिकारी तथा याचिकाकर्ता के द्वारा अवगत कराया गया कि बिल्डर द्वारा एक समझौता तैयार किया गया था तथा उसके आधार पर किराया भी अदा किया गया, किंतु निर्धारित मुआवजा प्रदान नहीं किया गया है, साथ ही यह भी पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत किसी प्रकार की पुलिस जांच नहीं की गई है।

7. दिनांक 16.03.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. आयोग यह अनुशंसा करता है कि प्रकरण में लगाए गए गंभीर आरोपों को दृष्टिगत रखते हुए मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सभी तथ्यों का सम्यक परीक्षण कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जा सके।

2. आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों का उल्लंघन के तहत संबंधित पुलिस प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर विधिसम्मत एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

3. यह अनुशंसा की जाती है कि स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA), संबंधित बिल्डर/डेवलपर, राजस्व विभाग एवं जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

विस्तृत एवं तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

4. आयोग यह भी अनुशंसा करता है कि आगामी सुनवाई में संबंधित सभी प्राधिकरणों के सक्षम अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रकरण की वर्तमान स्थिति, की गई कार्रवाई एवं उपलब्ध अभिलेखों के संबंध में आयोग को अवगत कराएं, ताकि मामले का प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
RESEARCH UNIT-I

****

F. No. NCST/DEV-2783/MH/1/2024-ESDW (RU-I)

Dated: 16.03.2026

Sub: Representation dated 01.03.2024 of Shri Chandubhai Babubhai Patel, Room No. 616, 6th Floor, Durga Devi Ekta Rehivashi Sangh S.R.A Cooperative Housing Society Limited, Rajendra Nagar, Borivali (East), Mumbai regarding the illegal use of force and false documentation to evict a Scheduled Tribe (ST) individual from his rightful land. The sitting/hearing held on 16.03.2026 in the Court Room of the Commission Headquarters under the chairmanship of the Hon'ble Chairman of the Commission.

S. No.	Name	Designation	Mob. No. & Office No.	Signature
1.	**Shri Antar Singh Arya**	**Hon'ble Chairperson**	**In Chair**	
2.	Shri Purnendu Kant	Director		
3.	Shri R.K. Dubey	Deputy Director		
4.	Shri Chetan Kumar Sharma	Research Officer		
5.	Shri Shiv Prakash	Senior Investigator		
6.	Shri Vivekanand Shukla	Investigator		

The Commissioner of Police, Mumbai, Maharashtra 400001

S. No.	Name	Designation	Mob. & Office No.	Signature
1.	Maloji Shinde	A.C.P.	9821416121	[signature] ACP
2.	Mahendra Jadhav	P.I.	9823212900	[signature] PI
3.				
4.				

Petitioner (s)

S. No.	Name	Designation	Mob. & Office No.	Signature
1.	चंदुभाई बाबुभाई पटेल			
2.			9892435674	C-B-PGPL
3.				
4.				